

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी

PBR/नगरानी/रतलाम/भू-र/2017/2335

श्री दिनेश च्याम
अभिभाषण कर
कृष्ण उज्जैन पर
प्रस्तुत।

21/7/17
A32

सुरेन्द्रसिंह पिता श्री दिलीपसिंह, जाति राजपुत,
निवासी-ग्राम गुडरखेड़ा, तहसील पिपलोदा,
हा.मु.-337, गोयलनगर बंगाली चौराहे के पास
इन्दौर म.प्र. — आवेदक

—विरुद्ध—

- 1- कृष्णा कुमारी पति दिलीपसिंह,
निवासी- निवासी-ग्राम गुडरखेड़ा, तहसील पिपलोदा,
हा.मु.-337, गोयलनगर बंगाली चौराहे के पास
इन्दौर म.प्र.
- 2- कुमुम भदौरिया पिता दिलीपसिंहजी
निवासी-ग्राम गुडरखेड़ा, तहसील पिपलोदा,
हा.मु.-337, गोयलनगर बंगाली चौराहे के पास
इन्दौर म.प्र. —अनावेदकगण

पुनर्निरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता


माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार पिपलोदा जिला रतलाम के प्रकरण
क्रमांक 47/अ-6/16-17 में पारित आदेश दिनांक 17/07/17 से असंतुष्ट एवं दुखित
होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निग./रतलाम/भू.रा./2017/2335

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2017	<p>प्रकरण में अनावेदक की ओर से वाद क्रमांक 1-ए/2017 में व्यवहारवाद का निर्णय दिनांक 28-10-2017 प्रस्तुत किया गया है, उसे देखते हुये यह निगरानी निरर्थक हो गई है । अतः यह निगरानी इसी स्टेज पर समाप्त की जाती है । उभयपक्ष व्यवहारवाद का निर्णय तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करें ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>